न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

न अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
संख्या :—28/2018
दिनांक :— 4.6.2018
दिनांक :— 30.9.2021

उनवान

1.कमली पत्नी गंगाधर
2.कंहैयालाल पुत्र पांचूराम
3.रामकिशोर पुत्र कंहैयालाल
4.रामपति पुत्री कंहैयालाल
5.सुनीता पुत्री कंहैयालाल
6.ओमवती पत्नी रामप्रसाद
जाति बैरवा निवासी गोठडा तह. दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. सोमोती पत्नि श्रवण
3. गोपाल पुत्र श्रवण
4. रामेश्वर पुत्र श्रवण
5. रामकिशन पुत्र श्रवण
6. चन्द्र पुत्र श्रवण
7. प्रभु पुत्र श्रवण
8. रामपति पत्नि चन्द्र
जाति बैरवा निवासी गोठडा तह. दौसा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :— एडवोकेट श्री जगजीवन जी प्रार्थी की ओर से

दिनांक 30.9.2021

निर्णय

अंतर्गत प्रार्थना—पत्र अ.धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने

उक्त प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्राथीगण द्वारा एक प्रा.पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया किया गण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 एक ही ग्राम के निवासी व पडौसी काश्तकार हैं गोठडा में कृषि भूमि खसरा नं. 2503 रकबा 0.23 हैक्टर, 2504 रकबा 0.02 हैक्टर, नंबर 2505 रकबा 0.21 हैक्टर, 2513 रकबा 0.43 हैक्टर, 2517 रकबा 0.24 हैक्टर कुल कुल रकबा 1.13 हैक्टर स्थित है । जिसकी खातेदारी लड्डो पत्नि कंहैयालाल हिस्सा कमली पत्नि गंगाधर हिस्सा 1/4 दर्ज है खातेदार लड्डों का देहान्त हो चुका है प्रार्थी 2 लगायत 6 उसके वारिस हैं किंतु उसका नामान्तकरण नहीं हुआ है । प्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के मध्य हमेशा भूमि की सीमा बंदी का विवाद बना रहता है । सीमाज्ञान के बाद भी विवाद बना रहता है । अत: इस न्यायालय से तहसीलदार दौसा को दिये जावे कि राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाई जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

दौसा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र को दर्ज रिकोर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । किंतु निरंतर नोटिसों के उपरांत भी उपस्थित नहीं आने पर, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार व नायब तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा जवाब पेश किया कि वादीगणों द्वारा पत्थरगढी करवाने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रार्थी के अधिवक्ता की पत्थरगढी प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थीयान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के ग्राम गोठडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 2503 रकबा 0.23 हैक्टर, 2504 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 2505 रकबा 0.21 हैक्टर, 2513 रकबा 0.43 हैक्टर, 2517 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 हैक्टर पत्थरगढी तु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी का कार्य करवावें एवं स्ते पत्थरगढी प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल करें । पालना हेतु तहसीलदार सा को तहरीर जारी की जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद मील प्रविष्टी लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

संजय कुमार गोरा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी दौसा
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner